विनियामक और अन्य उपाय *

अक्तूबर 2010

आरबीआइ. सं. 2010-11/222 बैंपविवि. बीपी. बी.सी.सं. 47/21.01.001/2010-11 दिनांक 1 अक्तूबर 2010

तृतीय पक्षकार आदाता खाता चेकों का संग्रह -चेकों की रशि को तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) के खाते में जमा करने पर प्रतिबंध

अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालकसभी अनुसूचित वणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

कृपया उपर्युक्त विषय पर 27 अगस्त 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 32/21.01.001/2009-10 देखें जिसमें यह बताया गया है कि 'आदाता खाता' के रूप में आरेखित चेकों का तृतीय पक्षकार खातों (सहकारी ऋण समितियें) के माध्यम से संग्रह करने की प्रथा को अनुमति नहीं दी जा सकती । तथपि, भुगतान प्रणाली के दृष्टिकोण से चेकों के संग्रह को सुगम बनाने के लिए उक्त परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि समाशोधन गृहों के उप-सदस्य परिपत्र में उल्लिखित कतिपय परिस्थितियों में अपने ग्राहकों के खातों में क्रेडिट करने के लिए उनके चेकों का संग्रह प्रायोजक सदस्य के माध्यम से कर सकते हैं ।

2. यह बात हमारी जानकारी में लाई गई है कि चूंकि सहकारी ऋण समितियां समाशोधन गृहों के उप-सदस्य भी नहीं हैं इसलिए ऐसी सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों को, जिनके पास बैंक खाता नहीं है, उनके नाम से आहरित आदाता खाता चेकों के संग्रह में कठिनाई होती है । सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों द्वारा आदाता खाता चेकों के संग्रह में महसूस की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से यह स्पष्ट किया जाता है कि संग्रहकर्ता बैंक अपने ऐसे ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए रु.50,000/- से अनधिक रशि के लिए आहरित आदाता

खाता चेकों के संग्रह पर विचार कर सकते हैं जो सहकारी ऋण समितियां हैं बशर्ते ऐसे चेकों के आदाता इन सहकारी ऋण समितियों के सदस्य हों । इस प्रकार चेक संग्रह करने के लिए बैंकों के पास संबंधित सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिखित रूप में दिया गया अभिवेदन होना चहिए कि वसूली के बाद चेकों की रशि सहकारी ऋण समिति के उसी सदस्य के खाते में क्रेडिट की जाएगी जो चेक पर अंकित नाम के अनुसार आदाता है । तथपि, यह व्यवस्था परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के उपबंधों सहित उसकी धारा 131 की अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन होगी।

3. संग्रहकर्ता बैंकों को ऐसी सहकारी ऋण समितियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतनी चहिए और यह सुनिश्चित करना चहिए कि ग्राहकों के अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) संबंधी दस्तावेज़ समिति के अभिलेख में सुरक्षित रखे हैं और संवीक्षा के लिए बैंक को उपलब्ध हैं ।

4. तथपि, संग्रहकर्ता बैंकों को यह बात ध्यान में रखनी चहिए कि चेक के वास्तविक स्वामी द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में चेक के वास्तविक स्वामी के अधिकार इस परिपत्र के द्वारा किसी भी प्रकार प्रभवित नहीं होते हैं और बैंकों को यह प्रमणित करना होगा कि उन्होंने संदर्भाधीन चेक का संग्रह करते समय सद्भाव से और सावधानीपूर्वक काम किया था।

आरबीआइ/2010-11/223 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 48/21.06.001/2010-11 दिनांक : 1 अक्तूबर 2010

बैंकों के तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़रों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोज़रों की द्विपक्षीय नेटिंग

सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

जैसा कि आप जानते हैं, 'पूंजी पर्याप्तता तथा बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशनिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा' पर 1 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र, बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 15/21.06.001/2010-11 द्वारा जारी किए गए हमारे मौजूदा अनुदेशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन तथा स्वर्ण की ऋण समतुल्य रशि की गणना करने के लिए वे 'चालू एक्सपोज़र पद्धतिट अपनाएं। ऋण समतुल्य रशि का पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन के लिए उपयोग होता है।

2. बैंकों से अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसी डेरिवेटिव संविदाओं में काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोज़रों की द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति देने के मामले की विद्यमान विधिक ढांचे के भीतर जांच की गई है। द्विपक्षीय नेटिंग से संबंधित विधिक स्थिति असंदिग्ध रूप से स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित (एमटीएम) मूल्यों की द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है । तदनुसार, बैंकों को पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन के लिए ऐसी संविदाओं के सकल धनात्मक बाज़ार दर पर अंकित मूल्य की गणना करनी चहिए।

आरबीआइ/2010-11/228 बैंपविवि. बीपी. बीसी. 49/21.04.132/2010-11 दिनांक : 7 अक्तूबर 2010

बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

कृपया 'अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, अस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड' पर 01 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 21/21.04.048/2010-11 देखें ।

2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 14.2.2(iv) के अनुसार प्रवर्तकों का त्याग तथा उनके द्वारा लाई गई अतिरिक्त निधियां बैंक के त्याग की कम-से-कम 15 प्रतिशत होनी चहिए । अतिरिक्त निधियां प्रारंभ में ही प्रवर्तकों द्वारा लाई जानी अपेक्षित हैं न कि एक समय-सीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से ।

3. बैंकों तथा भारतीय बैंक संघ से प्राप्त अभ्यावेदन में कहा गया है कि समस्याग्रस्त कंपनियों को कुछ अवसरों पर प्रवर्तकों के त्याग का अंश तथा अतिरिक्त निधियां प्रारंभ में ही लाने में कठिनाई हो रही है । इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि :

i) प्रवर्तकों का त्याग तथा उनके द्वारा लाई जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त निधियां सामान्यतः प्रारंभ में ही लाई जानी चहिए । तथपि, यदि बैंक इस बात से सहमत हों कि प्रवर्तकों को अपने त्याग का अंश तत्काल लाने में वास्तव में कठिनाई हो रही है और उन्हें अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए कुछ समय-विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है तो प्रवर्तकों को अपने त्याग का 50% अर्थात् 50% का 15% प्रारंभ में ही तथा शेष अंश एक वर्ष के भीतर लाने की अनुमति दी जा सकती है ।

ii) तथपि, यदि प्रवर्तक अपने त्याग का शेष अंश एक वर्ष तक बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर नहीं ला पाते हैं तो उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 14.2.2 के अनुसार बैंकों द्वारा प्राप्त होने वाले अस्ति वर्गीकरण लाभों पर उपचय बंद हो जाएगा और बैंकों को पुनः उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 11.2 के अंतर्गत निर्धारित अस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार ऐसे खातों का वर्गीकरण करना होगा ।

4. इसके अतिरिक्त, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रवर्तक का अंशदान अनिवार्य रूप से नकद लाया जाना आवश्यक नहीं है और उसे ईक्विटी की डि-रेटिंग, प्रवर्तक द्वारा बे-जमानती ऋण के ईक्विटी में संपरिवर्तन तथा ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में लाया जा सकता है ।

आरबीआई/2010-11/229 सबैलेवि.जीएडी.सं.एच. 2444/42.01.011/2010-11 दिनांक अक्तूबर 8, 2010

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उनकी सहयोगी बैंक
सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा सरकारी खाते में ई - भुगतान के लिए अनुमत अवधि

कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 18 जुलाई 2008 के परिपत्र भारिबैं / 2008-09 / 97 (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच- 549/42.01.011/2008-09) देखें ।

2. इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि महा लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ई - भुगतान के द्वारा सरकारी खातों में निधियों के अंतरण के लिए अनुमत अवधि एवं अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए समिति गठित की थी । इस समिति ने सिफारिश की है कि निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू ई -

भुगतान के द्वारा धन प्रेषण का टी + 1 कार्य दिवस (पुट थ्रू डेट सहित) का मानक, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों पर भी लागू किया जाए ।

3. समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ई - भुगतान मोड से किए गए सभी सरकारी लेन-देन के संबंध में 1 नवंम्बर 2010 से टी + 1 कार्य दिवस (पुट थ्रू डेट सहित) की धन प्रेषण अवधि लागू होगी ।

4. आप तदनुसार सरकारी राजस्व का प्रेषण किया जाना सुनिश्चित करें ।

आरबीआइ/2010-11230 भु.नि.प्र.वि.(कें.का.) ईपीपीडी.सं.788/04.03.01/2010-11 दिनांक 08 अक्तूबर 2010

एनईएफटी/एनईसीएस/ईसीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एनईएफटी/एनईसीएस/ईसीएस के जरिए ग्राहक के खाते में जमा होनेवाली धनराशि के बारे में पास बुक /पास शीट/

विविध प्रकार के खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के जरिए निधि अंतरण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे इन उत्पादों की स्वीकार्यता और लोकप्रियता का पता चलता है। बैंकों में इस प्रकार की सेवा प्रदान करने का स्तर ग्राहक की आवश्यकता और अपेक्षाओं के अनुरूप होना चहिए।

2. धनप्रेषक (या हितधिकारी) और/अथवा जमा (अथवा नामे) के स्रोत के बारे में पास बुकों/पास शीटों/ खाता विवरणों में अपूर्ण ब्यौरे तथा बैंकों के द्वारा ऐसी न्यूनतम जानकारी देने में एकरूपता के अभाव से संबंधित शिकायतें बढ़ रही हैं। एक बहुत ही सामान्य उदाहरण जैसे एनईएफटी या एनईसीएस का सामान्य उल्लेख करने से जमा हुई निधि के स्रोत को पहचानने में ग्राहक को मदद नहीं मिलती, विशेषकर तब जब ऐसे उत्पादों के जरिए ग्राहक के खाते में कई क्रेडिट दर्ज हुए हों। एनईएफटी/एनईसीएस/ईसीएस संबंधी प्रक्रियागत दिशनिर्देशों में और समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्राहकों को कौन सी न्यूनतम जानकारी दी जानी चहिए।

3. बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) इस बात के लिए सक्षम होने चहिए कि वे संबंधित फील्ड से संदेशों/ डाटा फाइलों में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जब ग्राहक अपना खाता ऑनलाइन परिचलित करेगा या जब वह शाखा काउंटर/सहायता डेस्क/कॉल सेंटर में संपर्क करेगा तब उसे पूरी जानकारी अतिरिकमत रूप से दी जा सके। संदेशों/डाटा फाइलों से ब्यौरे सीधे ही दर्ज करने और ग्राहकों की पासबुकों / पासशीटों / खाता विवरणों में दिए जाने वाले न्यूनतम सूचना के मानकीकरण की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करें -

क) एनईएफटी

संदेश एन - 02- आवक लेन देन

अनिवार्य फील्ड 6091 में धनप्रेषक का नाम होता है, जिसे क्रेडिट के स्रोत की जानकारी के लिए लिया जाना चहिए और निहित सूचनाएँ पास बुक/खाता विवरण में मुद्रित किया जाना चहिए। लेन-देन प्रारंभ करने वाला बैंक यह सुनिश्चित करे कि इस फील्ड में उचित और

अर्थपूर्ण विवरण उपलब्ध कराया गया है। फील्ड 6091 का विवरण का प्रकार है -

एम	6091	भेजने वाले ग्राहक के खाते का नाम	50x	मूल प्रेषक के खाते का नाम

टैग 7495 के साथ एक वैकल्पिक फील्ड होता है जिसमें प्रेषक से प्रेषिती की अतिरिक्त सूचना शमिल की जा सकती है। गंतव्य बैंक अपने सीबीएस/अन्य यथोचित प्रणाली में यह जानकारी दर्ज कर सुरक्षित रखें तकि ग्राहक के अनुरोध पर उसे यह जानकारी दी जा सके।

संदेश एन - 07 - वापसी लेन-देन

एम	2006	संबंधित संदर्भ संख्या	16x	बैंक शाखा में प्राप्त आवक क्रेडिट संदेश के अंतरण की संदर्भ संख्या
एम	6366	अस्वीकृति कोड	50x	अस्वीकृति के कारण का विवरण

गंतव्य बैंक प्राप्त किए गए मूल संदेश को लिंक या पुनः प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अंतरण संदर्भ (यूटीआर) संख्या का प्रयोग करने की संभावना का भी पता लगाएं तकि जब ग्राहक ऑनलाइन या कॉल सेंटर के जरिए अनुरोध करे तब सेवा पहल के रूप में अतिरिक्त जानकारी ग्राहक को दी जा सके।

उपलब्ध कारवाई जाने वाली सूचना से संबंधित मौजूदा निदेश (क) धनप्रेषक द्वारा शुरु किए गए लेन-देन (ख) वापस हुए लेन-देन से संबंधित उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारी के संबंध में वर्तमान निर्देश लागू रहेंगे।

ख) एनइसीएस/ईसीएस प्रकार

33 (20 और13) अक्षरों वाले 'लंबे यूजर' नेम तथा 'यूजर क्रेडिट रिफरेंस' (क्रेडिट कॉन्ट्रा रिकार्ड में क्रम संख्या '9' एवं '10') फील्ड पास बुक / खाता विवरण में मुद्रित किया जाना चहिए।

प्रायोजक बैंक प्रयोक्ता संस्थाओं को सूचित करें कि वे उचित तरीके से इन फील्डों को भरें तकि ग्राहकों को संबंधित सूचना दी जा सके।

4. उपर्युक्त के अलावा, यदि बैंक आवश्यक या उपयोगी समझे तो कोई अतिरिक्त विवरण देने के वे लिए स्वतंत्र हैं।

5. प्रेषक (ओरिजिनेटिंग) बैंकों का यह कर्तव्य है कि वे उन्हें दी गई सभी संगत सूचना संदेशों/डाटा फाइलों को उचित संदर्भित फील्ड में दर्ज होना सुनिश्चित करें।

6. कृपया प्रप्ति की सूचना दें और 01 जनवरी 2011 तक उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। ये अनुदेश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

आरबीआई/2010-11/232 संदर्भ सं.आरपीसीडी. सीओ. आरआरबी. बीसी सं.23/03.05.33/2010-11 दिनांक 13 अक्तूबर 2010

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

विभिन्न सरकारी छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए छात्रों द्वारा नो-फ्रिल खाते खोलना

सचिव भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हमारी जानकारी में यह बात लाई गई है कि बैंक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों जो मंत्रालय/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा प्रदात्त छात्रवृत्तियों का लाभ उठाना चाहते हैं के 'नोफ्रिल खाते' नहीं खोल रहे हैं। इस कारण सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने

वालों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो रही है और यह निंदा का कारण बन रहा है।

2. इस संबंध में हम दिनांक 27 दिसंबर 2005 के अपने परिपत्र आरपीसीडी.सीओ. सं. आरआरबी.बीसी 58/03.05.33 (एफ) 2005-06 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हे जेा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नो-फ्रिल खाते खोलने के संबंध में है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों अथवा अन्य लाभों से वंचित समूहों के छात्रों के नो फ्रिल खाते खोलें ताकि वे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों अथवा अन्य लाभों का फायदा उठा सकें। तथापि, ऐसे खाते खोलते समय इस प्रयोजनार्थ अपने ग्राहक को जाने संबंधी यथोचित नियमों का फलन किया जाए।

आरबीआइ/2010-11/234 बैंपविवि. एफआइडी. एफआइसी. सं. 6 /01.02.00/2010-11 दिनांक : 14 अत्तूबर 2010

मुख्य कार्यपालक अधिकारी चुनिंदा अखिल भारतीय मीयादी ऋण तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी)

चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशनिर्देश

कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 फरवरी 2009 के हमारे पत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 5/01.02.00/2008-09 के अनुक्रम में 'बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशनिर्देश' पर अनुसूचित वणिज्य बैंकों को जारी 07 अत्तूबर 2010 का संलग्न परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. सं. 49/21.04.132/2010-11 देखें। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ये दिशनिर्देश यथोचित परिवर्तनों के साथ चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) पर लागू होंगे ।

2. तथपि, सामान्यतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी प्रदान करने, ओवरड्राप्ट तथा वैयक्तिक ऋण देने, अदि जैसे कतिपय क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं। ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित परिपत्र में निहित प्रावधान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

भा.रि.बैं./2010-11/235 भुनिप्रवि (केंका.) ईपीपीडी सं./863/04.03.01/2010-11 दिनांक 14 अक्तूबर 2010

आरटीजीएस/एनईफटी/एनईसीएस/ईसीएस में भाग लेने वाले सभी सदस्य बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्य पालक अधिकारी

इलेक्ट्रानिक भुगतान उत्पाद- केवल खाता संख्या सूचना के आधार पर आवक लेनदेनों का संसाधन करना

जैसा कि आप जानते हैं सुरक्षित और कुशलतापूर्वक इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न इलेक्ट्रानिक भुगतान उत्पाद (आरटीजीएस, एनईफटी,एनईसीएस और ईसीएस के विविध प्रकार) प्रारंभ किये हैं। इन उत्पादों के जरिए होने वाले लेनदेनों की मात्रा में काफी वृद्धि देखी गई है जो बैंक शाखाओं द्वारा और उसी प्रकार ग्राहकों द्वारा इसकी स्वीकार्यता और प्रयोग की सरलता दर्शाती है।

2. इलेक्ट्रानिक भुगतान उत्पाद अनुदेशों की उत्पत्ति, संचलन, संसाधन और उनके अंतिम रूप से निपटान के लिए काफी हद तक प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं। आप सहमत होंगें कि किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप से

अनुदेश पूरे होने में न केवल विलंब होता है, बल्कि उससे चूक और छलकपटपूर्ण कार्य के लिए गुंजाइश रहती है। बैंकों में कोर बैंकिंग समाधानों (सीबीएस) का लागू होना, सीबीएस प्लेटफार्म को भुगतान प्रणाली गेटवे से जोड़ने वाला सॉफ्टवेयर इंटरफेस और ग्राहकों को इंटरनेट द्वारा एक्सेस सीधे संसाधन का (एसटीपी) वातावरण बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और इस प्रकार इन उत्पादों को लोकप्रिय बना रहा है।

3. सीबीएस वातावरण में किसी बैंक के ग्राहकों को सभी शाखाओं के बीच उनकी खाता संख्या के द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। आरटीजीएस/एनईफटी/एनईसीएस/ईसीएस क्रेडिट के लिए प्रचलित क्रियाविधिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य रूप से बैंकों से यह अपेक्षित होता है कि वे खाते में क्रेडिट करने के पूर्व लाभार्थी के नाम और खाता संख्या सूचना का मिलान कर लें। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जहां किसी नाम को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रानिक अंतरण अनुदेश के नाम संबंधी फील्ड को गंतव्य बैंक की बहियों में मौजूद रिकार्ड से मिलान करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इससे मानवीय हस्तक्षेप करना पड़ता है जो सीधे संसाधन (एसटीपी) में व्यवधान उत्पन्न करता है और इससे क्रेडिट या अदेय क्रेडिट अनुदेशों की वापसी में विलंब होता है।

4. आवश्यक रूप से क्रेडिट-पुश प्रकृति का होने के कारण, सटीक इनपुट और सफल क्रेडिट का उत्तरदायित्व रुपए भेजने वाले ग्राहक और मूल बैंक का होता है। गंतव्य बैंकों की भूमिका प्रेषक/मूल बैंक द्वारा मुहैया कराए गए ब्यौरों के आधार पर लाभार्थी के खाते को क्रेडिट करने तक सीमित होती है। सीमित समयावधि में बढ़ती हुई मात्रा की देख-रेख के लिए कुछ बैंक नाम मिलान करने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अन्य बैंक अंतरण की प्रकृति और मूल्य के आधार पर जोखिम आधारित प्रक्रिया का इस्तेमाल हैं।

5. आरटीजीएस/एनईफटी/एनईसीएस/ईसीएस क्रेडिट उत्पादों में प्रचलित क्रियाविधियों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है-

i. भुगतान अनुदेशों में सही इनपुट, विशेष रूप से लाभार्थी की खाता संख्या संबंधी सूचना, देने का उत्तरदायित्व रुपए प्रेषक/आरंभकर्ता का होगा। यद्यपि, अनुदेश संबंधी अनुरोध में लाभार्थी के नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा और उसे निधि अंतरण संदेश के भाग के रूप में आगे भेजा जाएगा, तथापि, क्रेडिट करने के प्रयोजन के लिए केवल खाता संख्या पर भरोसा किया जाएगा। शाखाओं से प्रारंभ होने वाले अंतरण अनुदेशों और ऑनलाइन/ इंटरनेट डिलीवरी चैनल के जरिए आरंभ होने वाले दोनों प्रकार के अनुदेशों के लिए यह लागू होगा। तथापि, संदेश प्रपत्र में नाम संबंधी फील्ड का उपयोग गंतव्य बैंक द्वारा एक मानक के रूप में जोखिम संभावना और /या क्रेडिट-पश्चात जांच या अन्य प्रकार से किया जाएगा।

ii. आरंभकर्ता बैंक एक समुचित मेकर-चेकर प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई खाता संख्या सूचना सही है और त्रुटियों से मुक्त है। इसमें ऑनलाइन/ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों को खाता संख्या सूचना एक से अधिक बार इनपुट करने (पहली बार की फीड को मास्क करना जैसा कि पासवर्ड परिवर्तन करने के मामले में अपेक्षित होता है) या इसी प्रकार की किसी अन्य विधि का उपयोग करने का सुझाव देना शामिल हो सकता है। निधि अंतरण संबंधी अनुरोध शाखाओं में प्रस्तुत करने वाले ग्राहकों से यह अपेक्षित होगा कि वे आवेदन पत्र में खाता संख्या सूचना को दो बार लिखें।

iii. शाखाओं में अनुरोध किए गए लेनदेनों के लिए आरंभकर्ता बैंक मेकर-चेकर क्रियाविधि अपनाएंगें जिसमें यह अपेक्षित होगा कि एक कर्मचारी लेनदेन का इनपुट करे और अन्य कर्मचारी उस इनपुट की जांच करे।

iv. बैंकों को ऑनलाइन/ इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्म में निधि अंतरण पटलों पर और निधि अंतरण अनुरोध फार्मों में समुचित डिस्क्लैमर (अस्वीकरण) देना चाहिए जिसमें ग्राहकों को यह सूचित किया जाए कि निधि अंतरण केवल लाभार्थी की खाता संख्या सूचना के आधार पर किया जाएगा और लाभार्थी के नाम संबंधी विवरण का इसके लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

v. गंतव्य बैंक, प्रेषक/आरंभकर्ता बैंक द्वारा संदेश/ डाटा फाइल में उपलब्ध कराई गई खाता संख्या के आधार पर लाभार्थी के खाते को क्रेडिट कर सकते हैं। लाभार्थी के नाम संबंधी ब्यौरों को जोखिम संभावना, अंतरण की मात्रा, लेन देन का स्वरूप, क्रेडिट-पश्चात जांच आदि के लिए सत्यापन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

vi. सदस्य बैंक आरटीजीएस/एनईफटी/एनईसीएस/ ईसीएस क्रेडिट के जरिए भुगतान करते समय खाता संख्या संबंधी सही सूचना देने की आवश्यकता के संबंध में अपने ग्राहकों में जागरुकता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

vii. ग्राहकों को उनके खाते में जमा/निकासी के लिए मोबाइल/ई-मेल एलर्ट उपलब्ध कराना एक और अन्य विधि हो सकती है जिससे जमा/ निकासी की असलियत तथा लेनदेन संबंधित ग्राहक द्वारा ही किये जाने/उन्हें अपेक्षित होने के बारे में पता लगाया जा सके। सभी प्रकार के निधि अंतरणों के लिए उसकी मात्रा को ध्यान में न लेते हुए सभी ग्राहकों को अधिमानतः यह सुविधा देनी चाहिए।

viii. उपर्युक्त के बावजूद, यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि किसी गलत खाते को क्रेडिट कर दिया गया है तो बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे एक सुदृढ़, पारदर्शी और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें ताकि इस प्रकार के क्रेडिट को पलटा जा सके और गलती को ठीक किया जा सके और/या लेनदेन को आरंभकर्ता बैंक को वापस किया जा सके। इसे विशेष रूप से सुचारु और पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य करना चाहिए जब तक कि ग्राहक नए प्रबंधों से आश्वस्त न हो जाएं।

6. ये संशोधन उन ईसीएस डेबिट लेनदेनों पर भी समान रूप से लागू हैं जिन्हें गंतव्य बैंक उपयोगकर्ता संस्थानों/ प्रायोजित बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर अपने ग्राहकों के खातों को क्रेडिट करने के लिए उपयोग में लाएंगे।

7. एतद् द्वारा बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे समुचित प्रणालियों और क्रियाविधियों को आरंभ करें ताकि उपर्युक्त निर्धारणों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ये दिशानिर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को अंतरित शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं जो 1 जनवरी 2011 से प्रभावी होगें। परिचालनगत अनुभवों और सामान्य फीडबैक के आधार पर इन अनुदेशों की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो अनुदेशों में समुचित परिवर्तन किया जाएगा।

8. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की पुष्टि करें।

आरबीआइ/2010-11/236 संदर्भ सं. यूबीडी. बीपीडी. (पीसीबी) परिपत्र सं.4/16.12.000/2010-11 दिनांक 11 अक्तूबर 2010

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एडी श्रेणी - I प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

मान्यताप्राप्त स्टॉक /नए शेयर बाजारों में मुद्रा विकल्पों की ट्रेडिंग संबंधी दिशानिर्देश - शहरी सहकारी बैंकों की सहभागिता।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मान्यता प्राप्त स्टॉक / शेयर बाजारों में मुद्रा विकल्पों की ट्रेडिंग के संबंध में एपी डीआइआर (डीआइआ श्रंखला) परिपत्र सं.05, दिनांक 30 जुलाई 2010 (प्रति संलग्न) के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, एडी श्रेणी - I यूसीबी (27 नवंबर 2006 के परिपत्र यूबीडी.पीसीबी.सं. 21/16.12.000/06-07 के अनुबंध I में सूचीबद्ध) के लिए नियमों को पूरा करने वाली एडी श्रेणी - I यूसीबी को आरबीआइ के उपर्युक्त संदर्भित (विदेशी मुद्रा विभाग) के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल ग्राहक रूप में सेमी द्वारा मान्यताप्राप्त नामोद्दिष्ट बाजार में एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा ऑप्शन बाज़ार में भाग लेने देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। ग्राहकों के लेनदेन से उद्भूत होने वाले अन्तर्निहित विदेशी मुद्रा निवेश की बचाव व्यवस्था मात्र के लिए ही सहभागिता को अनुमति प्रदान की जाएगी।

2. ऐसे शहरी सहकारी बैंक जो एडी श्रेणी-I के रूप में विदेशी मुद्रा कारोबार करने के लिए प्रधिकृत हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन बाजार में सहभागी होने के लिए तैयार हैं वे भारतीय रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से इस संबंध में विशिष्ट अनुमोदन हेतु संपर्क कर सकते हैं।

भरिबैं/2010-11/242
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./ 203/03.10.001/2010-2011 दिनांक 22 अत्तूबर 2010

सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ

इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- 'जनता की जमारशि' की परिभाषा से छूट

स्मरणीय है कि भारत सरकार ने 9 जुलाई 2010 की अधिसूचना सं. 48/2010/एफ नं. 149/84/2010-एसओ (टीपीएल) में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजन के लिए दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त कंपनियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी बांडों जैसे कतिपय बांडों को दीर्घावधि बांडों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

2. तदनुसार यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत, समय-समय पर, जारी अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों से उगाही गई/प्राप्त रशि को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमारशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैराग्राफ 2(1)(xii) के अर्थों में 'जनता की जमारशि' नहीं माना जाएगा।

3. इस संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमारशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करने वाली 22 अत्तूबर 2010 की अधिसूचना

सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) 216/मुमप्र (यूएस)-2010 की प्रतिलिपि संलग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
सेंटर I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
कफ परेड, कोलाबा,
मुंबई- 400 005.

अधिसूचना सं.डीएनबीएस.(पीडी)216/ सीजीएम(यूएस)-2010 दिनांक 22 अक्तूबर, 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात को जनता के पक्ष में मानते हुए और इस बात से संतुष्ट होने पर कि, देश के हित में बैंक को क्रेडिट प्रणाली के विनियमन में समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों की स्वीकृति संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 3) की धारा 45 जे, 45 के 45एल और 45 एमए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसारण में दिनांक 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफीसी 118/डीजी (एसपीटी)/98 में निहित है ओर इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली समस्त शक्तियां, एतद्द्वारा निदेश देती हैं कि ऐसे निदेश त्वरित प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किए जाएंगे।

पैराग्राफ 2 का संशोधन

उप पैराग्राफ (1) के खण्ड (XII) में, उप खण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड (एम) अंतःस्थापित किया जाएगा -

'(एम) केन्द्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961की धारा 80 सीसीएफ के अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं में यथा विनिदिर्ष्ट इफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बांड्स को जारी करन के माध्यम से जुटाई गई कोई राशि।'

आरबीआइ/2010-2011/243 संदर्भ सं.आरबीआइ/ डीपीएसएस सं.914/02.14.003/2010-2011 दिनांक 25 अक्तूबर 2010

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
प्रधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क

क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन- कार्ड के लिए रक्षा संबंधी मुद्दे और जोखिम को कम करने वाले उपाय न कि वर्तमान लेनदेन

18 फरवरी 2009 के परिपत्र आरबीआइ/2008-2009/387, डीपीएसएस सं.1501/ 02.14.003/ 2008-009 के अंतर्गत हमने यह अधिदेशित किया था कि, 01 अगस्त 2009 से बैंक एक 'सभी ऑनलाइन कार्ड न कि वर्तमान लेनदेनों के लिए कार्ड पर न दिखने वाली सूचना के आधार पर एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण/ वैधीकरण' उपलब्ध कराएगा। (इस अधिदेश को हमारे परिपत्र आरबीआइ/2009-2010/420, डीपीएसएस सं.2303/02.14.003/2009-10 दिनांक 23 अप्रैल 2010 के अंतर्गत 01 जनवरी 2011 से सभी आरबीआइ लेनदनों के संबंध में लागू कर दिया गया है)।

2. हमें ऑनलाइन लेनदनों के संबंध में इस अधिदेश की प्रयोज्यता के संबंध में संदर्भ प्राप्त होते रहे है जिसने भारतीय व्यापारिक साइटों में भारत के बाहर के बैंकों द्वारा जारी कार्डों के प्रयोग और विदेशी वेबसाइटों पर लेनदेन के लिए भारतीय कार्डों के प्रयोग को सिद्ध किया।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट है कि व्यापारिक साइटें जिनपर विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह नहीं होता है पर भुगतानों के लिए भारत में जारी किए गए कार्डों का उपयोग करते हुए किए जाने वाले सभी लेनदेनों पर यह अधिदेश लागू होगा। एक समुद्रपारीय वेबसाइट/भुगतान गेटवे से लिंक , अधिदेश को लागू करने से छूट देने का आधार नहीं हो सकता है।

4. भारतीय व्यापारिक साइटों पर वर्तमान में भारत के बाहर जारी किए गए कार्डों के प्रयोग पर यह अधिदेश लागू नहीं है।

आरबीआइ/2010-11/245 बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.50/14.01.001/2010-11 दिनांक 26 अक्तूबर 2010

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ

बैंक खाते खोलना - वेतनभोगी कर्मचारी

कृपया 1 जुलाई 2010 के बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 2/14.01.001/2010-11 द्वारा बैंकों को जारी 'अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दयित्व' पर हमारे मास्टर परिपत्र का अवलोकन करें। उक्मत परिपत्र के अनुबंध I में दस्तावेजों/सूचनाओं की प्रकृति और स्वरूप के संबंध में एक निदर्शनात्मक सूची दी गयी है, जिनका उपयोग बैंक खाते खोलते समय ग्राहकों की पहचान और पते के सत्यापन के लिए किया जा सकता है।

2. यह बात हमारे ध्यान में लायी गयी है कि वेतनभोगी कर्मचरियों के बैंक खाते खोलते समय कुछ बैंक नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ पत्र पर पहचान के प्रमाण के लिए तथा पते के प्रमाण के लिए एक मात्र केवाइसी दस्तावेज के रूप में भरोसा करते हैं। इस प्रकार की प्रथा का दुरुपयोग हो सकता है और यह जोखिम से भरी हुई है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि धोखाधड़ी के जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक ऐसे प्रमाण पर तभी भरोसा करें जब वे प्रतिष्ठित कार्पोरेट और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किये गये हों तथा बैंकों को इस संबंध में सचेत होना चहिए कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र/पत्र जारी करने के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्रधिकारी कौन है। साथ ही, नियोक्ता के प्रमाण पत्र के **अलावा**, बैंक को कार्पोरेट तथा अन्य संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचरियों के बैंक खाते खोलने के लिए केवाइसी प्रयोजन के लिए धनशोधन निवारण नियमावली में दिये गये अधिकृत वैध दस्तावेजों (अर्थात् पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अदि) या उपयोगिता बिलों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चहिए।

3. ये दिशनिर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क तथा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 7 के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं। इनका उल्लंघन या अननुपालन बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।

आरबीआइ/2010-11/247 बैंपविवि.एफआइडी. एफआइसी. सं. 7/01.02.00/2010-11 दिनांक 28 अक्तूबर 2010

मुख्य कार्यपालक अधिकारी चुनिंदा अखिल भारतीय मीयादी ऋण तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी)

शून्य कूपन बांड में निवेश संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

कृपया उपर्युकमत विषय पर 29 सितंबर 2010 का संलग्न परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/21.04.141/ 2010-11 देखें । इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को जारी उपर्युक्त दिशनिर्देश यथावश्यक परिवर्तनों के साथ चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) पर लागू होंगे ।

आरबीआइ/2010-11/248 बैंपविवि. बीपी. बीसी. 51/21.06.101/2010-11 दिनांक 28 अक्तूबर 2010

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक (सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

शेयर बाजार में खरीद-बिक्री किए जानेवाले करंसी ऑप्शन्स की शुरुआत - मान्यता प्राप्त शेयर बाजार / नए शेयर बाजारों में करंसी ऑप्शन्स में भाग लेने के लिए खरीद-बिक्री करने के संबंध में बैंकों को अनुमति देना

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स को लागू करना -

मान्यता प्राप्त शेयर बाजार / नए शेयर बाजारों में बैंकों को करेंसी ऑप्शन में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना।

कृपया मान्यताप्राप्त शेयर बाजार/नए शेयर बाजारों में करंसी ऑप्शन्स की खरीद-बिक्री करने के संबंध में दिशनिर्देश पर विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी 30 जुलाई 2010 का आरबीआइ/2010-11/147 ए. पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 05 (प्रतिलिपि संलग्न) देखें। इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

i. प्रधिकृत व्यापारी श्रेणी - 1 के जो वणिज्य बैंक विदेशी मुद्रा विभाग के उपर्युकमत परिपत्र के पैरा 6(ii) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करते हैं उन्हें एतद्वारा अनुमति दी जाती है कि वे स्वयं अपने लिए और अपने ग्राहकों की तरफ से मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों के एक्सचेंज ट्रेडेड करंसी ऑप्शन्स बाजार के खरीद-बिक्री करने वाले तथा समाशोधन करने वाले सदस्य बन सकते हैं।

ii. अन्य सभी अनुसूचित वणिज्य बैंकों को शेयर बाजारों में खरीद-बिक्री किए जाने वाले करंसी ऑप्शन्स बाजार में केवल ग्राहक के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

आरबीआइ/2010-11/249 बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 52/13.03.00/2010-11 दिनांक 28 अक्तूबर 2010

सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोज़र - अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताओं (आइपीसी) का निर्गम

कृपया 30 सितंबर 2010 का हमारा परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/13.03.00/ 2010-

11 देखें जिसके अनुसार ऐसे बैंकों के संदर्भ में 31 अक्तूबर 2011 तक एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में जोखिम कम करने वाले कतिपय उपाय निर्धारित किए गए थे जो म्यूच्युअल फंडों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से विभिन्न शेयर बाजारों को अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं जारी करते हैं ।

2. अभिरक्षक बैंकों ने अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले करार में एक ऐसा खण्ड शमिल करने की अपेक्षा का अनुपालन रूक्ह में परिचालनात्मक कठिनाई महसूस की है जो उन्हें 1 नवंबर 2010 से पहले किसी निपटान में भुगतान के रूप में प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों पर अहस्तांतरणीय अधिकार प्रदान करता हो । तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अभिरक्षक बैंकों को दो महीने की अतिरिकमत समयावधि प्रदान की जाए अर्थात् संक्रमणकालीन व्यवस्था 31 दिसंबर 2010 तक बढ़ा दी जाए ।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में लेनदेन से पहले निधि उपलब्ध रही है अर्थात् ग्राहक के खाते में स्पष्ट रूप से भारतीय रुपये में निधियां उपलब्ध रही हैं और विदेशी मुद्रा सौदों के मामले में बैंक के नोस्ट्रो खाते को अभिरक्षक बैंकों द्वारा अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं जारी करने से पहले क्रेडिट कर दिया गया है, उन मामलों में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले करार में भुगतान के रूप में प्राप्त होने वाली प्रतिभूति पर अहस्तांतरणीय अधिकार संबंधी खण्ड की अपेक्षा के अनुपालन का आग्रह नहीं किया जाएगा।

आरबीआइ /2010-11/251 संदर्भ. बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी.54/12.02.001/2010-11 दिनांक 29 अक्तूबर 2010

सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कमी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अतिरिकमत चलनिधि सहायता

जैसा कि रिज़र्व बैंक की आज की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, अस्थायी चलनिधि दबाव के कारण उत्पन्न स्थिति में चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए एलएएफ के अंतर्गत शनिवार, 30 अक्तूबर 2010 को प्रातः 10.30 बजे एक विशेष 2 -दिवसीय रिपो निलामी की जाएगी । अनुसूचित वणिज्य बैंक 8 अक्तूबर 2010 की स्थिति के अनुसार अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक एलएएफ के अंतर्गत अतिरिकमत चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचित किया जाता है कि इस सुविधा का उपयोग करने के कारण 30-31 अक्तूबर 2010 को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में होने वाली किसी कमी के लिए बैंक पूर्णतया अस्थायी उपाय के रूप में दांडिक ब्याज से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा केवल 30 अक्तूबर 2010 को उपलब्ध होगी।